

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)24/2014

/भू० सं०, पटना, दिनांक

प्रेषक,

प्रभु राम (बि.प्र.से),
सरकार के अपर सचिवा

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय
बिहार, पटना।

विषय : केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP के संस्थागत उन्नयन मद में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल स्वीकृत राशि 776.50 लाख रुपये (शत प्रतिशत केन्द्रांश) के अधीन वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग हेतु 110.073 लाख (एक करोड़ दस लाख सात हजार तीन सौ) रु० के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 110.073 लाख (एक करोड़ दस लाख सात हजार तीन सौ) रु० की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या 4768 दिनांक 22.09.2015 द्वारा केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP के संस्थागत उन्नयन मद में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल स्वीकृत राशि 776.50 लाख रुपये (शत प्रतिशत केन्द्रांश) के अधीन वर्ष 2015-16 में सामान्य वर्ग हेतु स्वीकृत राशि 110.073 लाख (एक करोड़ दस लाख सात हजार तीन सौ) रु० मात्र को आवंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि का व्यय समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) योजना से सम्बद्ध कर्मियों (राज्य स्तर पर SLNA के सभी कर्मी एवं जिला स्तर पर WCDC में पदस्थापित Technical Expert, Accountant एवं Data Entry Operator) के मानदेय एवं अन्यान्य व्यय (यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय) आदि पर किया जायेगा।

3. उपरोक्त 110.073 लाख रु० में से 94.876 लाख (चौरानवे लाख सतासी हजार छः सौ) रु० की निकासी मुख्य शीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-मृदा संरक्षण, उप शीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) मॉग संख्या-1, विपत्र कोड-P2402001020213 विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान वेतन अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि 189.74 लाख रु० से की जायेगी।

4. उपरोक्त 110.073 लाख रु० में से 15.197 लाख (पंद्रह लाख उन्नीस हजार सात सौ) रु० की निकासी मुख्य शीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-मृदा संरक्षण, उप शीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) मॉग संख्या-1, विपत्र कोड-P2402001020213 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि 68.06 लाख रु० से की जायेगी।

5. आवंटित राशि की निकासी हेतु विपत्र बी०टी०सी० फार्म 46 में तैयार किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी०एल० खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी।

6. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दी जा रही है।

7. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रभु राम)

सरकार के अपर सचिवा

ज्ञापांक -

/भू0सं0, पटना, दिनांक

- प्रति :-
1. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिवा

ज्ञापांक -

128 (आवंटन)

/भू0सं0, पटना, दिनांक

01-10-2015

प्रति :- विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिवा

30.9.15